

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 157/2015 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2015/00163)

अनवान:


1. राजकुमार पुत्र श्री सोहन लाल जाति कुम्हारी साकिन चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. खेतपाल पुत्र श्री जगमाल जाति जाट साकिन चक 4 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

8.7.24

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त को रेस्पोंडेंट संख्या 3, 6 के निमित्त सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 01.08.2016 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलान्त को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को सुनाया गया।

  
(वन्दना सिंहवी)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर

